



डॉ० राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक: लो०अ०वि०/सम्ब०/२४६

दिनांक : ३०-०५-२०१९

सम्बद्धता आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) की धारा-३७(२) के परन्तुक के अधीन कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 30.05.2019 के अनुपालन में बाबा सूर्यबली सन्त शरण दास बालिका महाविद्यालय, मीरापुर, डेराबीबी, अयोध्या को स्नातक स्तर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, अंग्रेजी, चित्रकला, शिक्षाशास्त्र एवं गृहविज्ञान विषयों को स्ववित्तप्रेषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु शैक्षिक सत्र 2019-20 से आगामी तीन वर्षों हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

- प्रस्तावित पाठ्यक्रम/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु प्राप्त निरीक्षण मण्डल आव्या को दिनांक: ३० मई, २०१९ को सम्बद्धता समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा उक्त प्रकरण पर यह पर यह निर्णय लिया गया है कि प्रश्नगत महाविद्यालय को इस शर्त के साथ अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है कि दिनांक: ३० जून, २०१९ के पूर्व याचित पाठ्यक्रम/विषय में मानकानुसार शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित करा लिये जाय। यदि महाविद्यालय द्वारा उक्त तिथि तक शिक्षकों का अनुमोदन नहीं करा लिया जाता है तो याचित पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष (सत्र 2019-20) हेतु छात्र एवं छात्राओं का प्रवेश कदापि न किये जाये तथा निर्गत सम्बद्धता स्वतः समाप्त मानी जायेगी।**
- संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या: २८५१/सत्तर-२-२००३-१५(९२)/२००२ दिनांक २ जुलाई, २००३ मे उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय मे समय-समय पर अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।**
- संस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्त महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।**
- संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।**
- संस्था/महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित प्रपत्रों/सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।**
- महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित/कार्यरत् शिक्षकों का बायोडाटा, आधार-कार्ड, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित/कार्यरत् शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेंगे।**
- प्रत्येक वर्ष AISHE के PORTAL पर DCF-II से सम्बन्धित सूचनाएं अपलोड करना अनिवार्य होगा।**
- मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-६१८५९/२०१२ में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-५२२/सत्तर-२-२०१३-२(६५०)/ २०१२ दिनांक ३० अप्रैल २०१३ का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।**
- संस्था/महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।**
- संस्था/महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या-४२१/सत्तर-१-२०१५-१६(२०)/२०११, दिनांक २२ मई, २०१५ के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।**
- संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।**

भवदीय

/
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रबन्धक, बाबा सूर्यबली सन्त शरण दास बालिका महाविद्यालय, मीरापुर, डेराबीबी, अयोध्या।
- परीक्षा नियन्त्रक, डॉ० राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या।
- निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
- प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(रमेश)
कुलसचिव